BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 3, Issue 1, January-March 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

गाँधीवादी आंदोलनों में छोटानागपुर की महिलओं का योगदान : एक अध्ययन

षिबु कुमार मंडल
शोधार्थी
बिनोद बिहारी महतों कोयलांचल विष्वविद्यालय,
धनबाद, झारखण्ड

सार–संग्रह

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गाँधी के योगदान अभूतपूर्व रहा है जो अपने अद्भूत, अद्वितीय सिद्यांतो और प्रभावशाली कार्यक्रमों के माध्यम से जन–जन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जोडने का कार्य किये एवं् आधुनिक अस्त्र–शस्त्र से सुसज्जित ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिये।

गाँधी जी के आन्दोलनों में छोटानागपुर की महिलाओं ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया। छोटानागपुर की महिलाएँ, न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ी हुईं, बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधारों और स्वदेशी आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने खादी को अपनाया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और ग्रामीणों में स्वावलंबन का संदेश फैलाया, जिसकी अभिव्यक्ति गाँधीवादी आंदोलन में दिखाई पड़ता है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गाँधी का रांची प्रवास एक महत्वपूर्ण घटना थी। गाँधी जी ने रांची का दौरा 3–6 जून, 5–11 जुलाई व 22 सितम्बर–4 अक्टूबर, 19 ई॰ में किया था, जो श्याम कृष्णा सहाय के आमंत्रण पर पहली बार राँची आए। वे चंपारणा सत्याग्रह के सिलसिले में बिहार के मोतिहारी से चलकर राँची आये थे चंपारणा आन्दोलन की रूपरेखा राँची में ही रहकर तैयार किया गया था, उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गाँधी, पुत्र देवदास गाँधी भी साथ में थे – गाँधी जी की सादगी एवं उनके सिद्यांतो से झारखण्डवासी अत्यधिक प्रभावित हुए, राँची प्रवास मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों और हरिजनों के उत्थान के लिए किया था। उन्होंने यहाँ सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन के संदेश को फैलाया और स्थानीय लोगें को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होने के लिए प्रेरित किया।[1]

भारत में राजद्रोहात्मक गतिविधियों पर अकुश लगाने के लिए 21 मार्च, 1919 ई॰ को रौलेट एक्ट पारित किया गया। इस 'काले कानून' के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए इसके बारे में कहा गया 'न अपील, न वकील, न दलील'। इसके विरुद्ध देशव्यापी हड़तालें आयोजित किया गया जिसमें झारखण्ड के लोगों ने भी जगह–जगह विरोध प्रदर्शन किया, बड़े पैमाने पर हिंसा फैल जाने के कारण महात्मा गाँधी ने 18 अप्रैल, 1919 ई॰ को रौलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

कुंजी–षब्द

असहयोग, सविनय, अवज्ञा, खिलाफत, रौलेट, संथाल, नमक, सत्याग्रह।

गांधीवादी आंदोलन में प्रमुख महिलाओं की भूमिका

ब्रिटिश सरकार के अन्यायों– रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत के प्रश्न आदि के विरुद्ध सरकार के साथ असहयोग पर आधारित गाँधीजी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन 'असहयोग आंदोलन'(1920–22) के नाम से प्रचलित हुआ जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिलाकर रख दिया। गाँधी जी के नेतृत्व में चलाये गये इस अन्दोलन में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ–साथ झारखण्ड की विशेष भूमिका रही है। जिसकी झलक झारखण्ड के विभिन्न प्रान्तों में दिखाई पड़ता है, उदहारण के लिए छोटानागपुर, संथाल परगना, सिंहभूम आदि। इस आन्दोलन में छोटानागपुर के क्षेत्र यथा राँची, हजारीबाग आदि से प्रमुख नेताओं के साथ महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है। राँची के प्रमुख आंदोलनकारी यथा गुलाब तिवारी, मौलवी

@2025 Bihar Shodh Samaagam

उस्मान स्वामी विश्वानंद आदि के भाषणा से लोहरदगा, डोरंडा, राँची, ओरमांझी, कोकर, तमाड़, गुमला, बुंडू आदि के लोग बढ़–चढ़ कर जन सभाओं में भाग लिए जिसमें आदिवासी पुरुष एवम् महिलओं ने भी भाग लिये तथा यह समझने लगे की अंग्रेज का राज समाप्त हो गया है तथा गाँधी राज स्थापित हो गया। असहयोग आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहे हजारीबाग में कई विद्यार्थियों ने पढाई छोड़ दी, कई वकीलों ने वकालत छोड़ दी। 1921 में यह आन्दोलन और तीव्र हो गया। फलस्वरूप हजारीबाग में बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, **सरस्वती देवी**, त्रिवेणी प्रसाद आदि को जेल भेजा गया। 5–6 अक्टूबर, 1921 ई॰ को हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन (बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस) का 16वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता **सरला देवी** ने की।[2] इस अधिवेशन में बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह आदि ने भाषण दिया। इस अधिवेशन में सरकारी स्कूल–कॉलेजों के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार एवं स्वयंसेवकों की सेवाओं से जुड़े प्रस्ताव पारित किये गए।

साम्राज्य विरोधी संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930–31 व 1932–34 ई॰ एक महत्वपूर्ण दौर को रेखांकित करता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में पूरा हुआ प्रथम चरण–दांडी यात्रा से लेकर गाँधी–इर्विन पैक्ट तक (12 मार्च, 1930–5 मार्च, 1931) तथा द्वितीय चरण–द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद से लेकर कांग्रेस के पटना बैठक में आंदोलन की वापसी की औपचारिक घोषणा तक (3 मार्च, 1932–मई, 1934)। 12 मार्च, 1930 ई॰ को गाँधीजी ने अपनी प्रसिद्ध दाण्डी यात्रा आरंभ कर इस आंदोलन का श्रीगणेश किया। वहाँ नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे–नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, अस्पृश्यता का त्याग, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार आदि। यह आंदोलन सारे देश में आरंभ हो गया। इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकार का दमन–चक्र चलने लगा, फिर भी आंदोलन तीव्रता से जारी रहा। झारखण्ड इस आन्दोलन के एक अग्रीण केन्द्रों में से एक था। राँची का 'तरुण संघ' ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में राँची, सिल्ली, गुमला, चुटिया, कुंडु, लोहरदगा एवं बेड़ो में कई सभाएँ हुई। 10 अप्रैल, 1930 ई॰ को राँची की सभा में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। उसी दिन हिनू में 100 बंगाली महिलाओं की सभा हुई। 15 अप्रैल, 1930 ई॰ को जिला स्कूल एवं संत स्कूल के छात्र–छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। 16 अप्रैल, 1930 ई॰ को बुंडु में पूर्ण हड़ताल रही। 17 अप्रैल, 1930 ई॰ को सिल्ली में सभा हुई। 18 अप्रैल, 1930 ई॰ को कुंडु में सभा हुई जिसमें सरस्वती देवी एवं मीरा देवी के भाषण हुए। 3 मई, 1930 ई॰ को राँची बार एसोसिएशन की बैठक में खादी के उपयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। 4 मई, 1930 ई॰ को मांडर के महादेव स्वर्णकार ने गिरफ्तारी दी। 12 मई, 1930 ई॰ को पी॰सी॰ मित्रा, नागरमल मोदी एवं देवकी नंदन लाल भी गिरफ्तार कर लिये गए। 31 मई, 1930 ई॰ को रवीन्द्र चंद्र एवं रामधनी दूबे की गिरफ्तारी के बाद सभाओं व जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सितम्बर, 1930 ई॰में राँची में 'स्वदेशी सप्ताह' मनाया गया। 16 नवम्बर, 1930 ई॰ को 'जवाहर दिवस' मनाया गया। 3 मार्च, 1932 ई॰ को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ हुआ तो राँची के 'तरुण संघ' पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 27 जुलाई, 1932 ई॰ को नागरमल मोदी, ख्वाजा नासिरुद्दीन एवं बुलू साहु को जेल भेज दिया गया। जानकी साहु की माता को भी एक वर्ष की सजा हुई। साहू परिवार की **इंदिरा देवी** गोद की बच्ची **सरस्वती** के साथ दो वर्षों के लिए दो बार जेल गईं। श्रीमती **मोती साहु** को भी तीन बार जेल की सजा मिली।[3]

छोटानागपुर के विभिन्न स्थानों पर आंदोलन

जैसा कि हम जानते हैं, गांधीवादी आंदोलन ने पूरे देश को आंदोलीत किया, आंदोलन ने व्यापक स्तर पर समाज के विभिन्न तबकों को प्रभावित किया और उसे शामिल होने के प्रेरित किया। इसी क्रम में छोटानापुर के महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की वे पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को गति देने में सहयोग की। राज्य के अलग–अलग आंदोलन केंद्रों पर महिलाओं भाग ली जो इस प्रकार से है– हजारीबाग के कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट

नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। उन्हें एक वर्ष की सजा मिली। उनके अतिरिक्त हजारीबाग क्षेत्र में नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख लोग थे– मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, राधा गोविंद प्रसाद, सरस्वती देवी एवं **मीरा देवी**। सरस्वती देवी (हजारीबाग जिला कांग्रेस कमिटी की अध्यक्षा), मथुरा सिंह, चमन लाल, सीताराम दुबे, महादेव पाण्डेय, जय प्रकाश लाल एवं जे॰ एल॰ साथ को गिरफ्तार कर लिया गया और सबों को 6–6 महीने की सजा हुई। संत कोलम्बा कॉलेज के भौतिकी के प्राध्यापक की पुत्री **साधना** को भी जेल भेजा गया। 14 जुलाई, 1930 ई॰ को मीरा देवी जेल भेजी गयी। इस गिरफ्तारी के बाद **श्रीमती हसन इमाम** एवं **श्रीमती गौरी दास** सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हजारीबाग पहुंचीं। 3 मार्च, 1932 ई॰ को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ हुआ तो हजारीबाग में 6 मार्च, 1932 ई॰ को एक बड़ी सभा की गई जिसका उद्देश्य था–पटना कैम्प जेल में हजारीबाग के मोपना मांझी एवं केतन महता की मौत की निन्दा करना। उसी दिन बेरमो में एक सभा हुई जिसमें 700 लोग शामिल हुए। इस सभा में स्थानीय नेताओं– मोहन तेली एवं देवानंद काची ने भाषण दिए। 7 मार्च, 1932 ई॰ को गिरिडीह में हुई सभा में 2,000 लोग मौजूद थे। 8 मार्च, 1932 को डुमरी में हुई सभा में 600 संथालों को बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने संबोधित किया। 9 मार्च, 1932 ई॰ को हजारीबाग के केशव हॉल में आम सभा हुई। इसमें 400 लोग शामिल हुए जिसमें अधिकांश छात्र थे। 8–9 जून, 1932 ई॰ को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक में 3,000 लोग उपस्थित हुए जिसमें आदिवासियों एवं महिलाओं की संख्या अच्छी–खासी थी।

रामगढ़ अधिवेशन झारखंड की धरती पर संपन्न होनेवाला कांग्रेस का पहला एवं एकमात्र अधिवेशन (1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति तक) था जो 19 एवं 20 मार्च, 1940 ई॰ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वाँ वार्षिक अधिवेशन हजारीबाग जिलान्तर्गत रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन में पं॰ जवाहर लाल नेहरु ने कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव–सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन आचार्य जे॰ बी॰ कृपलानी ने किया, मतदान द्वारा उसकी पुष्टि हुई, उसके बाद गाँधी जी ने भाषण दिया जिसमें रचनात्मक कार्यक्रम एव् अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिया गया। गाँधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में यहाँ के महिलओं ने भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया एव् अहिंसात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रामगढ़ अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य बतलाया गया तथा व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा देश का संविधान बनाने पर बल दिया गया।[4] साथ ही, देश की जनता से अपील की गई कि वह गाँधी जी के नेतृत्व में भावी संघर्ष के लिए तैयार रहे।

जुलाई, 1940 ई में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग देने की बात उठाई परन्तु शर्त यही थी कि सरकार भारत की स्वधीनता की स्पष्ट घोषणा करे। इस पर वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त,1940 ई॰ को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया किया, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया क्योंकि इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की तारीख नहीं थी, दूसरा इस प्रस्ताव में मुस्लिमों को वीटो करने का अधिकार दिया गया था। अतएव 15 अगस्त, 1940 ई॰ को बम्बई में कांग्रेस की कार्यकारणी बैठक में गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये एव् गाँधी जी ने सामूहिक आन्दोलन की जगह व्यक्तिगत आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इससे प्रभावित होकर पूरे देश में कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्रम में झारखण्ड में कई लोग गिरफ्तार किये गए। दूसरी ओर सरकार ने आदिवासियों पुरुषों को सैनिकों के रूप में एवं आदिवासी महिलाओं को नर्सों के रूप में बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती किया[5], इससे झारखण्ड के लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ।

जापान के सफलताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत में संवैधानिक संकट को सुलझाने के लिए 'क्रिप्स मिशन' भारत भेजे गये। क्रिप्स के प्रस्ताव (29 मार्च, 1942 ई॰) भारत को अनेक प्रांतों व रियासतों में बाँटने की ओर ले जाते थे इसलिए कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया। क्रिप्स ने कहा– 'या तो इसे स्वीकार करो या छोड़ दो'।

इसके बाद ब्रिटेन ने समझौते के सभी द्वार बंद कर दिए। क्रिप्स मिशन की असफलता का भारत–ब्रिटिश संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बंबई बैठक (7–8 अगस्त, 1942 ई॰) में ऐतिहासिक प्रस्ताव – 'भारत छोड़ो' पारित किया गया। गाँधीजी ने इसी दिन लोगों को 'करो या मरो' (हम या तो भारत को स्वतंत्र करायेंगे या फिर उसके लिए संघर्ष में अपने प्राणों की बलि देंगे।) का प्रसिद्ध नारा दिया। इस आंदोलन के शुरू होते ही सरकार का दमन–चक्र आरंभ हो गया। गाँधीजी और अनेक नेता गिरफ्तार कर लिये गए। नेताओं की अनुपस्थिति में इस आंदोलन ने जन–विद्रोह का रूप ले लिया। आंदोलन से पूरा झारखंड आंदोलित हो उठा और झारखंड में लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल हुए। जगह–जगह जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन हुए, सभाएँ हुई और आवागमन व संचार के साधनों को नष्ट किया गया। हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकला।[6] संध्या समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दो दिन बाद उत्तेजित जनता ने डाक घर, यूरोपियन क्लब, लाल कम्पनी एवं डिप्टी कमिश्नर की अदालत में तोड़–फोड़ की। इस जिले के अबरख की खानों में काम करने वाले मजदूरों ने राजनीतिक चेतना का परिचय दिया और उन्होंने झुमरी तिलैया में जुलूस निकाला। डाकघर, रेलवे स्टेशन व शराब भट्ठी में लोगों ने तोड़–फोड़ की। डोमचांच की जनता ने भी एक जुलूस निकाला। इस जुलूस पर गोली चलाई गई जिसमें 2 मरे और 22 घायल हुए।[7] गिरिडीह में टेलीफोन एवं आवागमन के साधनों को नष्ट किया गया।

निष्कर्ष

अंततः इस आंदोलन नें भारतीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में भारत के विभिन्न वर्गों, समूहों, क्षेत्रों आदि का योगदान रहा है जिसमें झारखण्ड के छोटानागपुर की महिलाओं ने भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाई जिसमें गाँधी जी द्वारा बताए और सुझाए गए तरीकों का विशेष महत्त्व रहा।

<u>संदर्भ–सूची</u>

1. रणेंद्र, सुधीर पाल 'झारखण्ड एन्साइक्लोपीडिया', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019
2. कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन, खंड क, एकेडमिक फाउंडेशन, न्यू दिल्ली, 2011
3. कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन, खंड ख, एकेडमिक फाउंडेशन, न्यू दिल्ली, 2011
4. वीरोत्तम, बालमुकुन्द, 'झारखण्ड का इतिहास एवं संस्कृति', बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2020
5. *'संपूर्ण गांधी वांग्मय के विभिन्न खंडो'*, भारत के प्रकाशन विभाग
6. पाण्डेय, शत्रुघ्न कुमार, 'झारखण्ड का इतिहास', सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशक, नई दिल्ली, 2018
7. आदिवासी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, 1959